प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र,
आगरा, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, मेरठ, फैजाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर एवं लखनऊ।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आर.ए.सी./2017–18/60/7859-11 दिनांकः 24.10.2018

विषयः रीजनल कोऑर्डिनेटर हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सामुदायिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण एवं आशा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों विशेषकर आशा प्रशिक्षणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर आशा रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की गयी है। इसी क्रम में विभिन्न मण्डलों में आशा योजना एवं कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर रीजनल कोऑर्डिनेटरों को तैनात किया गया है।

रीजनल को–ऑर्डिनेटर के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं। रीजनल कोऑर्डिनेटर हेतु मानदेय, इण्टरनेट, मोबाइल फोन एवं आफिस एक्सपेन्डीचर के लिए स्वीकृत एफ0एम0आर0कोड में परिवर्तन किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर.ओ.पी. वर्ष 2018–19 में नवीन एफ.एम.आर कोड 16.8.1.3.1 के अन्तर्गत मानदेय एवं एफ.एम.आर कोड 16.1 में रीजनल कोऑर्डिनेटर हेतु रू0 500/– इण्टरनेट, रू0 200/– मोबाइल फोन एवं रू0 500/– आफिस एक्सपेन्डीचर के लिए प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किया गया है, जो कि वास्तविक व्यय के आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर देय होगा।

इसके अतिरिक्त रीजनल कोऑर्डिनेटर के लिए विभिन्न बैठकों में भाग लेने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु निम्न तालिका के अनुसार स्वीकृत की गयी है–

AC II /AC chair car/bus/Share Taxi/Taxi	Per diem (Rs. per day)	Stay (Rs. Per diem)	Total Rs.
Rs. 2500	750	1500	4750

बैठकों में भाग लेने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जहाँ तक सम्भव हो शेयर टैक्सी का प्रयोग किया जाय यदि शेयर टैक्सी उपलब्ध न हो तो टैक्सी किराये पर लिया जा सकता है। दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट का वाहन मुख्यालय वाले जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर निदेशक, आर0एच0एफपी0टी0सी0 के स्तर से इम्पैनल एजेन्सी से अनुमन्य दर के आधार पर किया जाएगा। उक्त स्तरों पर वाहन उपलब्ध न होने की दशा में इम्पैनल एजेन्सी की अनुमन्य दर पर ही अन्य एजेन्सी से भ्रमण हेतु वाहन लिया जा सकता है। बस अथवा ट्रेन द्वारा यात्रा किये जाने पर वास्तविक व्यय के आधार पर यात्रा भत्ता देय होगा।

रीजनल कोऑर्डिनेटर द्वारा भ्रमण पूर्व अग्रिम प्रस्तावित भ्रमण योजना प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को देना सुनिश्चित करें एवं भ्रमण के पश्चात 5 कार्यदिवसों में भ्रमण आख्या सम्बन्धित

प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को देना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विगत माह किये गये समस्त यात्रा बिल/वाउचर भुगतान हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

- रीजनल कोऑर्डिनेटर द्वारा किये गये भ्रमणों का सत्यापन प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जाएगा एवं रीजनल कोऑर्डिनेटर द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 10 दिनों के भीतर भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।
- रीजनल को–ऑर्डिनेटर अनुमोदित धनराशि सम्बन्धित जनपदों को निम्न फांट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है–

SL	RHFPTC	AC II /AC chair car/bus/Share Taxi/Taxi @ Rs. 2500 for 10 days per month	Stay (Rs.1500 Per day for 5 night in a month	Per diem Rs. 750 per day for 10 days in month	Office expenditure@500, mobile@200, Internet @500	Total	Grand Total (for 12 months)
1	Agra	25000	7500	7500	1200	41200	494400
2	Allahabad	25000	7500	7500	1200	41200	494400
3	Bareilly	25000	7500	7500	1200	41200	494400
4	Faizabad	25000	7500	7500	1200	41200	494400
5	Gorakhpur	25000	7500	7500	1200	41200	494400
6	Jhansi	25000	7500	7500	1200	41200	494400
7	Kanpur	25000	7500	7500	1200	41200	494400
8	Lucknow	25000	7500	7500	1200	41200	494400
9	Meerut	25000	7500	7500	1200	41200	494400
10	Moradabad	25000	7500	7500	1200	41200	494400
11	Varanasi	25000	7500	7500	1200	41200	494400
		275000	**82500**	**82500**	**13200**	**453200**	**5438400**

उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के खाते में हस्तान्तरित कर दी जाएगी। धनराशि का व्यय प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के स्तर से समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आर.ए.सी./2017–18/60/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर एवं वाराणसी।
4. वित्त नियंत्रक/समस्त महाप्रबंधक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

5. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस आशय के साथ प्रेषित की दिशा निर्देश को पोर्टल पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर एवं वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त धनराशि ससमय सम्बन्धित सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. समस्त रीजनल कोऑर्डिनेटर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
8. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबंधक, कम्यु0प्रो0